बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

18

:: संकल्प ::

विषय -- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एंव अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में मड़रिया (मुस्लिम) जाति को समावेशित करने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया गया है । आयोग को बिहार अधिनियम–3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अनुसूची–1 एवं 2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जाँच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की जाँच करनी है । इसके उपरांत आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम–12, 1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

"पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जांचोपरांत अनुशंसा की गई है कि :–

> "मड़रिया (मुस्लिम) जाति को पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची–2 (दो) के अंत में जोड़ा जाय । चूँकि यह जाति राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पायी जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र मूल रूप में भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखण्ड तथा बांका जिला के धोरैया प्रखंड तक ही सीमित रहेगी ।"

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम–3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–41 पर मड़रिया (मुस्लिम) जाति का समावेशन मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए किया जाय ।

अतः उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगर पालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :— अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(डॉ० धमेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक —11/वि 2—पि० व० आ०— 02/2002 का० — 177 /पटना—15, दि० 13.05.2002.

प्रतिलिपि — अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/—

(डॉ० धमेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक —11/वि 2—पि० व० आ०— 02/2002 का० — 177 /पटना—15, दि० 13.05.2002.

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/ अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान परिषद्, सचिवालय, बिहार, पटना/कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/—

(डॉ० धमेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के विशेष सचिव ।